प्रकरण क्रमांक	भुवन लाल	आदेश दिनांक
CC/21/97	**विरूद्ध**	12.03.2024
	सहारा इंडिया	

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजनांदगांव (छ0ग0)

समक्ष – योगेश चंद्र गुप्त – अध्यक्ष,
डॉ. आनंद वर्गीस – सदस्य,

प्रकरण क्रमांक–सी.सी./21/97
संस्थित दिनांक –21.01.2021
आदेश दिनांक – 12.03.2024

भुवन लाल सिन्हा आत्मज स्व.श्री सुकलाल सिन्हा आयु लग. 55 वर्ष,
निवासी–जलधारा चौक, बसंतपुर, वार्ड नं. 43, राजनांदगांव
तह.व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.).....परिवादी

विरूद्ध

शाखा प्रबंधक,
सहारा इंडिया क्रेडिट को–आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,
शाखा कार्यालय– खण्डेलवाल काम्पलेक्स,
रामाधीन मार्ग, राजनांदगांव
तह. व जिला –राजनांदगांव (छ.ग.)..... **अनावेदक**

परिवादी द्वारा श्री नरेश गंजीर अधिवक्ता।
अनावेदक तामीली पश्चात अनुपस्थित।

आदेश

द्वारा – डॉ. आनंद वर्गीस, सदस्य

01. परिवादी द्वारा सेवा में निम्नता के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध यह परिवाद धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत परिपक्वता राशि 1,33,351/–रूपये, व्यवहारिक, आर्थिक एवं मानसिक क्षति हेतु 50,000/–रूपये, 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, वाद व्यय व अन्य अनुतोष दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

02. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में यह है कि अनावेदक के सहारा कार्यालय में सहारा स्कीम के तहत सहारा स्पेशल बाण्ड निम्नानुसार प्राप्त कियेः–

प्रकरण क्रमांक	भुवन लाल	आदेश दिनांक
CC/21/97	**विरूद्ध**	12.03.2024
	सहारा इंडिया	

क्र.	खाता क्रमांक	रसीद क्रमांक	जमा दिनांक	जमा राशि	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि
01	15387207500	787001768809	12.12.2018	47,824/–	12.06.2020	56,002/–
02	15387207518	787001768823	13.12.2018	6,464/–	13.06.2020	7,569/–
03	15387207519	787001768839	15.12.2018	60,000/–	15.06.2020	69,780/–
कुल राशि				1,14,288/–		1,33,351/–

उपरोक्त सहारा बाण्ड दिनांक 15.06.2020 को परिपक्व होने के पश्चात भी परिपक्ता राशि सहारा कम्पनी से प्राप्त न होने के कारण दिनांक 25.11.2020 को अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित करने के पश्चात भी परिपक्वता राशि का भुगतान न प्राप्त होने से यह परिवाद प्रस्तुत कर उपरोक्त राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

03. अनावेदक तामीली पश्चात अनुपस्थित होने से किसी प्रकार का लिखित कथन व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

04. परिवादी द्वारा शपथ पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज सहारा बाण्ड की छायाप्रति (03 नग) प्रदर्श सी–01, विधिक सूचना पत्र प्रदर्श सी–02, पोस्टल रसीद प्रदर्श सी–03, अभिस्वीकृति पत्र प्रदर्श सी–04 प्रस्तुत किया गया है।

05. परिवादी द्वारा जमा किये गये सहारा स्पेशल बाण्ड 06 नग की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। आदेश के बावजूद भी बाण्ड की मूल प्रति आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण परिवादी का परिवाद प्रमाणित नहीं होता है। अतः निम्न आशय का आदेश पारित किया जाता हैः–

01. परिवाद खारिज किया जाता है।

02. उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

तद्नुसार आदेश पारित किया गया।

योगेश चन्द्र गुप्त
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
आयोग, राजनांदगांव (छ0ग0)

डॉ. आनंद वर्गीस
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
आयोग, राजनांदगांव (छ0ग0)